राजस्थान उच्च न्यायालय

जयपुर बेंच

एस.बी. आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 14720/2024

रामरतन शर्मा पुत्र स्वर्गीय श्री छीतरमल शर्मा, उम्र लगभग 50 वर्ष, निवासी 1. ग्राम शाहपुरा, चेलो का मौहल्ला, नई मस्जिद गली, पुलिस थाना शाहपुरा जिला जयपुर ग्रामीण, 2. वर्तमान में मदन बागरिया, बागरियों की गली, जयलाल मुंशी का रास्ता, पुलिस थाना नाहरगढ़ रोड, जयपुर, 3. मकान नंबर 2415 गंगू दफ्तरी का चौक, रंगेश्वर महादेव की गली नाहरगढ़ रोड, बारह भाइयों का चौराहा, पुरानी बस्ती जयपुर, 4. मकान नंबर 813 बख्ती हेमराज की गली, पानों का दरीबा, सुभाष चौक, जयपुर। (वर्तमान में सेंटर जेल जयपुर में निरुद्ध)।

----याचिकाकर्ता

बनाम

राजस्थान राज्य, जरिये सरकारी लोक अभियोजक

----उत्तरदाता

संबंधित

एस.बी. आपराधिक विविध **द्वितीय** जमानत आवेदन संख्या 15356/2024

राजू जांगिड़ पुत्र स्वर्गीय श्री सत्यनारायण जांगिड़, उम्र लगभग 38 वर्ष, निवासी मकान नंबर 85, शताब्दी नगर, इंडिया गेट, प्रताप नगर, जयपुर, राजस्थान। (वर्तमान में सेंट्रल जेल जयपुर में निरुद्ध)।

----याचिकाकर्ता

बनाम

राजस्थान राज्य,जरिये सरकारी लोक अभियोजक

----उत्तरदाता

याचिकाकर्ता(ओं) की ओर से	:	श्री विनोद कुमार शर्मा श्री प्रशांत शर्मा
उत्तरदाता(ओं) की ओर से	:	श्री अमित गुप्ता, पी.पी.

माननीय श्रीमान. जस्टिस विनोद कुमार भरवानी

निर्णय

10/01/2025

प्रार्थी / अभियुक्त **रामरतन शर्मा** की ओर से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांकित **18.11.2024** के विरूद्ध यह जमानत आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा **483 बी.एन.एस.एस.** तथा प्रार्थी / अभियुक्त **राजू जांगिड़** की ओर से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांकित **12.07.2024** के विरूद्ध यह **द्वितीय** जमानत आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा **483 बी.एन.एस.एस**. पृथक-पृथक, उन्हें पुलिस थाना-बजाज नगर, जयपुर शहर पूर्व में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या-**388/2023**, अपराध अन्तर्गत धारा **420, 406, 467, 468, 471**, **120 बी भारतीय दंड संहिता** में नियमित जमानत प्रदान किये जाने के संबंध में प्रस्तुत किए गए हैं। ये दोनों जमानत आवेदन पत्र एक ही प्रथम सूचना रिपोर्ट से संबंधित होने के कारण इनका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है।

बहस सुनी गई।

योग्य अधिवक्तागण प्रार्थीगण का तर्क है कि प्रार्थीगण को मामले में झूठा फंसाया गया है। प्रार्थी रामरतन दिनांक 31.10.2024 से तथा प्रार्थी राजू जांगिड़ दिनांक 14.06.2024 से अभिरक्षा में हैं। दौराने बहस उनका यह भी तर्क है कि प्रार्थी राजू जांगिड़ की ओर से प्रस्तुत प्रथम जमानत आवेदन इसी न्यायालय द्वारा दिनांक 30.09.2024 को निरस्त किया गया था, जिसमें अनुसंधान अधिकारी को निर्देश दिए गए थे कि वे दो माह में इस प्रकरण के अन्य अभियुक्तगण के संबंध में अनुसंधान पूर्ण करें। तत्पश्चात् प्रार्थी / अभियुक्त रामरतन से अनुसंधान पूर्ण होकर उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा चुका है तथा आरोप-पत्र पेश होना शेष है एवं प्रार्थी / अभियुक्त राजू जांगिड़ के विरूद्ध आरोप पत्र पेश हो चुका है। दौराने बहस उनका यह भी तर्क है कि दोनों प्रकरण प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है तथा इनके विचारण में समय लगेगा, अतः प्रार्थीगण को जमानत पर छोड़ा जावे।

विद्वान लोक अभियोजक ने जमानत प्रार्थना पत्रों का विरोध किया। हमने दोनों पक्षों की ओर से प्रस्तुत तर्कों व वितर्कों पर मनन किया।

प्रार्थीगण लम्बी अवधि से अभिरक्षा में है तथा दोनों प्रकरण प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है तथा इनकी अन्वीक्षा में समय लगने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। अतः प्रकरण की तथ्यात्मक स्थिति, प्रार्थीगण की अभिरक्षा अवधि, अन्वीक्षा में लगने वाले समय व अन्य परिस्थितियों पर विचार करने के

बाद, प्रकरण के गुणावगुण पर कोई अंतिम राय व्यक्त किए बिना प्रार्थीगण को जमानत की सुविधा दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

परिणामतः ये दोनों जमानत आवेदन पत्र स्वीकार किए जाते हैं तथा आदेश दिया जाता है कि यदि प्रत्येक प्रार्थी / अभियुक्त विचारण न्यायालय के संतोषप्रद 50,000/- रूपए (अक्षरे रूपये पचास हजार मात्र) का व्यक्तिगत बंधपत्र व 25,000-25,000/- रूपये की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां इस आशय की प्रस्तुत कर दें कि वे प्रकरण के विचारण के दौरान विचारण न्यायालय के समक्ष प्रत्येक तारीख पेशी पर उपस्थित होते रहेंगे तो प्रार्थीगण / अभियुक्तगण **1.** रामरतन शर्मा पुत्र स्वर्गीय श्री छीतरमल शर्मा एवं **2.** राजू जांगिड़ पुत्र स्वर्गीय श्री सत्यनारायण जांगिड़ को (यदि वे अन्य किसी प्रकरण में वांछित न हों तो) अविलम्ब जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

(विनोद कुमार भरवानी), जे

महेश आडवाणी /12-13

"अस्वीकरण- इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाशा में कर सकेगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी अधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निश्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।"

Tarun Mehra

Advocate